88

न्यायालय मान्नीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर,
सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

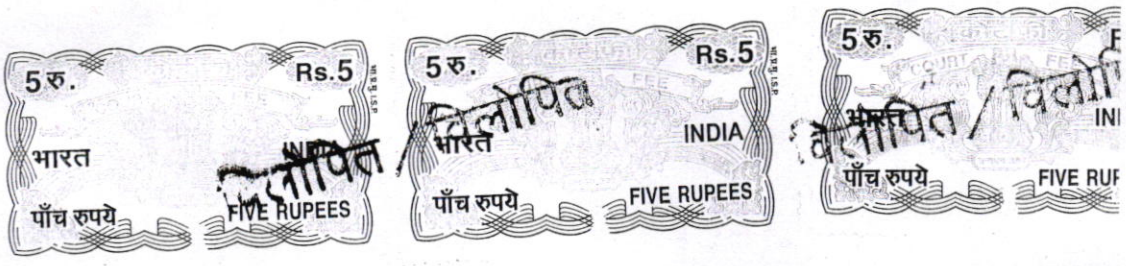

R 498 - #17

श्री गोपाल श्रीवास्तव तनय श्री जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव निवासी ग्राम खौर तहसील हुजूर जिला रीवा (म0प्र0)

.................आवेदक

बनाम

1. रामेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव तनय श्री श्यामसुन्दर श्रीवास्तव निवासी ग्राम खौर तहसील हुजूर जिला रीवा
2. जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव तनय श्री श्यामसुन्दर श्रीवास्तव निवासी ग्राम खौर तहसील हुजूर जिला रीवा (म0प्र0)
3. बाल्मीक प्रसाद द्विवेदी तनय श्री शिवदयाल द्विवेदी निवासी ग्राम खौर तहसील हुजूर जिला रीवा (म0प्र0)

.... अनावेदकगण

पुर्नविलोकन आवेदन पत्र बावत् मानीय
न्यायालय के राजस्व निगरानी प्रकरण
क्र. आर–568/III/2009 में पारित
निर्णय व आदेश दिनांक 04.01.2017
अंतर्गत धारा 51 सहपठित धारा 3
म0प्र0भू0रा0सं0 1959

मान्यवर,

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो–निगरानी/रीवा/भू.रा./2017/498

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं आदि के हर
17/7/18	यह पुनरावलोकन आवेदन राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 568–तीन/2009 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 4–1–17 पर से म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के अंतर्गत प्रस्तुत किया है। 2/ पुनरावलोकन आवेदन की ग्राह्यता पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने गये तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर के आदेश दिनांक 4–1–17 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनरावलोकन आवेदन में जो आधार बताये गये हैं उनका निराकरण पूर्व में ही आदेश दिनांक 4–1–17 में विस्तृत विवेचना करके किया जा चुका है। म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनरावलोकन के लिये निम्न आधार बताये गये हैं – 1. किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक तत्परता के पश्चात् भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या, 2. मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, 3. कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदकगण के अभिभाषक यह समाधान नहीं करा सके कि आदेश दिन. ांक 4–1–17 पारित करते समय ऐसी कौनसी प्रत्यक्ष दर्शी भूल है अथवा उनके द्वारा ऐसा कौनसा अभिलेख शोध कर लिया गया है, जो तत्समय प्रस्तुत नहीं किया जा सका हो और आदेश दिनांक 4–1–17 पर सीधा प्रभाव डालता हो। विचाराधीन पुनरावलोकन आवेदन में दर्शाए गए आधार समाधानकारक न होने से आदेश दिनांक 4–1–17 में फेर–बदल की गुँजायश नहीं है। पुनरावलोकन आवेदन आधार हीन होने से इसी–स्तर पर अमान्य किया जाता है। सदस्य	